

एक्सओएस

प्रा.व्या. कूट क्रमांक :

**निर्धारित/नियत तारीख के बाद वसूली के लिए बकाया
निर्यात बिलों का 30 जून/31 दिसंबर का विवरण**

भाग I - आस्थगित भुगतान की शर्तों के बिलों के अलावा अन्य बकाया निर्यात बिल

क्र.	बिल क्र. और तारीख	निर्यातक का नाम और पता	निर्यातक की कूट / आइ कूट क्र.	निर्यात तारीख	वसूली की नियत तारीख	जीआर/पीपी/ सॉफ्टेक्स फॉर्म क्र.	लदान पोर्ट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्रपारीय क्रेता का नाम और पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

पण्य	बीजक मूल्य	वसूली गई राशि	बकाया राशि	बकाया राशि का रुपया समतुल्य (निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए)			टिप्पणी
	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	नकद निर्यात	कन्साइनमेंट आधार पर निर्यात	अनाहरित शेष	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
जोड़							

**भाग II - आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात जहाँ पर किस्तें(ब्याज समेत) नियत तारीख के
बाद बकाया हैं**

क्र.	बिल क्र. और तारीख	निर्यातक का नाम और पता	आस्थगित भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख	निर्यात तारीख	जीआर फॉर्म क्र.	लदान पोर्ट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्र- पारीय क्रेता का नाम और पता	पण्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

बीजकमूल्य मुद्रा और राशि	आस्थगित भुगतान की शर्त के अंतर्गत माल का मूल्य (ब्याज समेत)	आस्थगित किस्तों की कुल राशि जो प्राप्त हो चुकी है (ब्याज समेत)	नियत तारीख के बाद कुल बकाया किस्तों की राशि(ब्याज समेत)	बकाया राशि का रुपया समतुल्य	क्या ईसीजीसी रक्षा प्राप्त की गई है ?	जारी बैंक प्रमाणपत्र की सं. व तारीख	टिप्पणी

						हां/नहीं				
	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि	मुद्रा	राशि				
11	12		13		14		15	16	17	18

जोड़

भाग III : सारांश

भाग I

भाग II

	‘नकद’ निर्यात	कन्साइनमेंट आधार निर्यात	अनाहरित शेष	जोड़	आस्थगित भुगतान आधार पर निर्यात
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए

-----को बकाया

(पिछली छमाही का अंत)

जोड़े :- रिपोर्ट की
छमाही अवधि के
दौरान जोड़

घटाएं: छमाही के दौरान
हटाएं

-----को निवल बकाया

(रिपोर्ट की छमाही का अंत)

हम प्रमाणित करते हैं कि रिपोर्ट के तहत अर्धवर्ष के अंत की स्थिति में निर्धारित अवधि / नियत तारीख तक वसूली के लिए बकाया सभी निर्यात बिल अर्थात् खरीदे गए निर्यात बिल, बेचान किए गए और उगाही के लिए भेजे गए, बिलों को शामिल किया गया है।

स्थान:

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

नाम:

पदनाम:

संलग्नक-3

(इ-15 स्वयं बट्टे खाते डालना और अवधि विस्तार)

(भाग - अ)

31 दिसंबर को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यात कार्यनिष्पादन के ब्योरे देते हुए निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रस्तुत किया जानेवाला वार्षिक विवरण

(राशि 000 रुपए में)

यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर देय कुल निर्यात प्राप्त जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/ पीपी फार्म की संख्या	यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर वसूले गए कुल निर्यात प्राप्त जीआर/सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी फार्मों की संख्या	यथा लागू 180 दिन अथवा अधिक अवधि की निर्धारित अवधि के अंदर नहीं वसूले गए निर्यात प्राप्त जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/ पीपी फार्मों की संख्या
	पूर्णतः वसूले गए अंशतः वसूले गए	

(भाग आ)

(राशि 000 रुपए में)

निर्धारित अवधि में वसूले न गए निर्यात बिलों के ब्योरे (अंशतः या पूर्णतः) जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी सं.	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टे खाते डालने के ब्योरे राशि संशोधित नियत तारीख @	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ प्राधिकृत व्यापारी से बट्टा मांगना राशि संशोधित निर्यात तारीख @
1	2	3
कुल		

- टिप्पणी :
1. निर्यातक भाग आ में स्तंभ (3) में बिल के संबंध में समय विस्तार के लिए प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करें।
 2. भाग आ में स्तंभ (2) में बिलों का कुल योग भाग अ के स्तंभ (1) में दिए गए के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
 3. 2005 से आगे भाग अ के स्तंभ 1 के बिलों में वे बिल भी शामिल होंगे जिन्हें निर्यातक ने स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से वसूली के लिए समय विस्तार दिया है।

4. बट्टे खाते डाले गए निर्यात बिलों के संबंध में (बीजक मूल्य में कटौती सहित) निर्यात प्रोत्साहन के अभ्यर्पण के सबूत संलग्न किए जाएं।

@विस्तार मामलों के लिए
निर्यातक के हस्ताक्षर

प्रधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित

